51/C/24/16/4/16/AIPR(2020) I/2087973/2025



தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம் (தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகம், இந்திய அரசு) கசிचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, **आरत सरकार**) **EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**(Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India**)

सत्यमेव जयते

மண்டல அலுவலகம் / क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

143, ஸ்டெர்லிங் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-600 034.

143, स्टर्लिंग रोड, न्ंगमबाक्कम, चेन्नै-600 034.

143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai–600 034.

Phone: 044-28306300 (100 Lines) E-mail: rd-tamilnadu@esic.gov.in

Website: www.esic.gov.in/www.rotamilnadu.esic.gov.in

51 /C /24 /16 /4 /16 /AIPR (2020)

<u>06.01.2025</u>

परिपत्र / CIRCULAR

विषय: 31.12.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआर) प्रस्त्त करना

Subject: Submission of Annual Immovable Property Return (AIPR) for the Year Ended on 31.12.2024

सभी ग्रुप-ए और बी अधिकारियों और सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों (ग्रुप-सी अधिकारियों) को केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों का पालन करने और 31.12.2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआर) स्पैरो पोर्टल पर दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

All Group - A & B officers and Social Security Officers (Group - C officials) are hereby directed to comply with the instructions of the Central Vigilance Commission and file their Annual Immovable Property Returns (AIPR) for the year ended 31.12.2024 on the SPARROW portal.

एआईपीआर 31 जनवरी 2025 से पहले प्रस्त्त किया जाना चाहिए।

The AIPR must be submitted before 31st January 2025.

51/C/24/16/4/16/AIPR(2020) I/2087973/2025

स्पैरो पोर्टल पर लॉग इन करते समय किसी भी समस्या का सामना करने पर, अधिकारियों से अनुरोध है कि वे सहायता के लिए त्रंत हेल्पडेस्क स्पैरो (help.sparrow@esic.nic.in) से संपर्क करें।

In case of any issues faced while logging into the SPARROW portal, officials are requested to immediately contact the **HELPDESK SPARROW** (help.sparrow@esic.nic.in) for assistance.

इस बात पर जोर दिया गया कि 31 जनवरी 2025 तक एआईपीआर दाखिल न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

It is emphasized that **non-filing of AIPR by 31st January 2025** will lead to the initiation of **administrative action** against the concerned officials.

किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया प्रशासन शाखा से संपर्क करें।

For any further clarifications, kindly contact the Administration Branch.

यह परिपत्र अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This circular is issued with the approval of Additional Commissioner and Regional Director.

Signed by
Lali Rajkumar
Date: 06-01-2025-17:59:10
Deputy Director (Admin.)

उप निदेशक (प्रशासन)

To:

All Group A, B and Social Security Officers (Group - C) of R.O Chennai